I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2017

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 27/10/2017 18:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2001 **Date To (दिनांक तक):** 19/04/2012

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/10/2017 **Time (समय):** 18:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date and Time (दिनांक और समय):** 27/10/2017 18:41 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 2.50 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): PANCHKULA,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): PANCHKULA SECTOR-5

District (State) (जिला (राज्य)): PANCHKULA (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Insp. Rajesh Kumar 71 HAP

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 06/12/1978 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB SEC-17, PANCHKULA, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB SEC-17, PANCHKULA, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	Hans Raj Jayani Director Prosecution HVPNL			1. O/o HVPNL HQ SECTOR-6 PKL,SVB PANCHKULA,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA
2	IPS Sahani legal Officer			1. HVPNL SECTOR-6,PANCHKULA,SVB PANCHKULA,STATE VIGILANCE BUREAU,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	14,55,580 Rupees	14,55,580.00

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 14,55,580.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला, श्रीमान जी, निवेदन है कि यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 7/9/2012-1 चौ0-1 दिनांक 04.10.2017 की अनुपालना दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला के क्र0 4803/1-5 दिनांक 10.04.12 के अनुसार श्री बलबीर सिंह वकील वासी पंचकूला की शिकायत के आधार पर तीन आरोपों की पड़ताल की जानी थी। जिसमें एक आरोप यह था कि श्री हंसराज ज्याणी, पूर्व निदेशक अभियोजन हरियाणा, पंचकूला जब बतौर एल0आर0, एच0वी0पी0एन0एल0, पंचकूला मुख्यालय में कार्यरत थे, उन्होनें टयूब्लों की गहराई से सम्बन्धित शिकायत पर जिला उपभोक्ता फर्म के खिलाफ अपीलों को विभागों द्वारा स्टेट कमीशन में डालने के लियें 14,55,580/- रु0 के बिल वकील की फीस व अन्य खर्चो के झूठे बिल बनाकर विभाग को चूना लगाया था। यह अपील तमाम हरियाणा के डिवीजनों की थी जबकि विभाग द्वारा कोई प्राईवेट वकील अपीलें फाईल करने के लियें नियुक्त नही किया गया। बल्कि स्टेट कमीशन में अपीलें विभाग के लॉ आफिसर आई0पी0एस0 साहनी द्वारा दायर की गई थी। टाईप व फोटोस्टेट इत्यादि कार्यालय में ही सब डिवीजन लेवल पर की गई थी। इस बारे ए0डी0जी0पी0, एच0वी0पी0एन0एल0 पंचकूला द्वारा जांच कराई गई, जिसमें झूठे बिलों व बाउचर द्वारा 14,55,580/- रु0 नाजायज तौर पर निकालने बारे। जिसकी पड़ताल निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह, राज्य चौकसी ब्यूरों, उपकेन्द्र फतेहाबाद द्वारा की गई, जो पड़ताल से पाया गया कि जिला सिरसा के किसानों द्वारा अपने कृषि सम्बन्धित टयूब्लों की गहराई के सम्बन्ध में बिजली विभाग जिला सिरसा के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम सिरसा में केस दायर किये थे, जिस पर जिला उपभोक्ता फोरम सिरसा द्वारा अपने एक ही आदेश में किसानों के टयूब्लों की गहराई से सम्बन्धित 2500 अपीलों का निपटारा किसानों के पक्ष में किया गया था, जिसके सम्बन्ध में श्री हसंराज ज्याणी, विधी परामर्शी हरियाणा विधुत प्रसारण निगम, मुख्यालय पंचकूला की राये अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम सिरसा के उपरोक्त फैंसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, पंचकूला (State Consumer Disputes Redressal Commission) में केस दायर करने के लियें 1792 अपीलों का केस तैयार किया, जिसमें से 1787 अपीलें राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग पंचकूला में दायर की गई थी। इस सम्बन्ध में श्री हंसराज ज्याणी, विधि परामर्शी (legal Remembrancer) के पत्र क्रमांक 43/एल0आर0-4 दिनांक 23.03.01 के द्वारा बिजली विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं व अधीक्षक अभियन्ताओं को लिखा कि उपरोक्त अपीलों को राज्य उपभोक्त विवाद निपटान आयोग, हरियाणा में दायर करने के लिये 50 प्रतिशत वकील की फीस वा अन्य खर्चो

इन अपीलों का निपटारा होने के बाद दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त दिनांक 29.03.01, 26.08.02 वा पत्र क्रमांक 2119 दिनांक 29.11.02, पत्र क्रमांक 1936 दिनांक 18.11.02, पत्र क्रमांक 142 दिनांक 15.01.03, पत्र क्रमांक 1776-78 दिनांक 30.01.03, पत्र क्रमांक 954-ए0एल0बी0-37 दिनाक 06.03.03 के द्वारा बिजली विभाग के विभिन्न अधिकारियों वा विधी परामर्शी (legal Remembrancer) के बीच उपरोक्त अपीलों को दायर करने में वकील की फीस वा अन्य खर्च के लिए राशि मंजूर करने बारे पत्राचार किया गया है। उपरोक्त अपीलो के सम्बन्ध में वकील की फीस 200/रु० प्रति अपील वा 10/रु प्रति अपील शपथ पत्र सत्यापित फीस श्री हंसराज ज्याणी विधी परामर्शी के अधीन कार्यरत श्री आई0पी0एस0 साहनी, कानून अधिकारी, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, पंचकूला के पास बिजली विभाग जिला सिरसा द्वारा सब डिविजन स्तर पर जमा करवाई जानी पाई गई है। जिनका विवरण इस प्रकार है कि बिजली विभाग जिला सिरसा की डिंग सब डिवीजन द्वारा 372 अपीलों के वकील की फीस 200/- रु प्रति अपील के हिसाब से 74,400/ रु, अन्य खर्च 2326/रु वा शपथ पत्र सत्यापित फीस 3750/रु श्री आई0पी0एस0 साहनी कानून अधिकारी, मुख्यालय पंचकूला के पास जमा करवाए जाने पाए है, जबकि इन केसो को तैयार करने पर सब डिवीजन डिंग ने अपने स्तर पर ही 41794/रु खर्च किए गए है। इसी प्रकार नाथुसरी सब डिवीजन द्वारा 205 अपीलों के 41000/ रु वकील की फीस के मुख्यालय पंचकूला पर जमा करवाए जाने पाए है जबकि नाथुसरी सब डिविजन द्वारा 11275/रु इन केसो को तैयार करने में अपने स्तर पर ही खर्च किए गए है। रानियां सबडिवीजन द्वारा 16 अपीलों के 3200/रु वकील की फीस के मुख्यालय, पंचकूला पर जमा करवाए गए है। सिटी सबडिवीजन सिरसा द्वारा 147 अपीलों के 30400/रु वकील की फीस वा 1490/रु शपथ पत्र सत्यापित फीस के मुख्यालय, पंचकूला पर जमा करवाए गए है, जबकि सिटी सब डिवीजन सिरसा द्वारा 3105/ रु इन केसो को तैयार करने में अपने स्तर पर ही खर्च किए है। सब अर्बन सब डिवीजन सिरसा द्वारा 861 अपीलों के 172,000/रु वकील की फीस वा 8630/ रु शपथ पत्र सत्यापित फीस के मुख्यालय, पंचकूला पर जमा करवाए गए है, जबकि 48,330/रु इन केसो को तैयार करने में सब अर्बन सब डिवीजन द्वारा अपने स्तर पर ही खर्च कि गए है। माधोसिघानां सबडिवीजन द्वारा 57 अपीलों के 11,400/रु वकील की फीस वा 520/रु शपथ पत्र सत्यापित फीस के मुख्यालय, पंचकूला पर जमा करवाए गए है, जबकि 3,517/रु इन केसो को तैयार करने में माधोसिघानां सब डिवीजन द्वारा अपने स्तर पर ही खर्च किए जाने पाए गए है। इसी प्रकार औधोगिक सब डिवीजन सिरसा द्वारा 132 अपीलों के 26,400/रु वकील की फीस वा 1240/रु शपथ पत्र सत्यापित फीस मुख्यालय पंचकूला पर श्री आई0पी0एस0 साहनी कानून अधिकारी के पास जमा करवाए जाने पाए गए है, जबकि इन केसो को तैयार करने में 9,980/रु औधोगिक सब डिवीजन द्वारा अपने स्तर पर ही खर्च किए जाने पाए है। पड़ताल के दौरान पाया गया कि उपरोक्त अपीलो को दायर करने के लिये सिरसा सर्कल के उप मण्डलो ने अपने स्तर पर ही 1,18,001 रु० टाईप व फोटो स्टेट के खर्च करके केस तैयार करके विधी परामर्शी, मुख्यालय, पंचकूला के कार्यालय में श्री आई0पी0एस0 साहनी कानून अधिकारी के पास भेजे जाने पाये गये। जबकि उपरोक्त अपीलो की राज्य उपभोक्त विवाद निपटान आयोग में पैरवी करने के लिए विभाग द्वारा कोई भी प्राईवेट वकील खडा नही किया गया, इन अपीलो की पैरवी में श्री आई0पी0एस0 साहनी कानून अधिकारी की ही हाजरी लगी हुई है। जो विभाग द्वारा 200 रु की टाईप व फोटो स्टेट चार्जिज की रसीदें बनवाई गई उनमें कुछ रसीदे यूनियक कम्प्यूटर सैन्टर, मकान नं. 151, सैक्टर-18, पंचकूला द्वारा बनाई गई है। जबकि वहां कोई कम्प्यूटर सैन्टर होना नही पाया गया और कुछ रसीदें मनीमाजरा से बनाई गई है तथा ये रसीदें श्री आई.पी.एस.साहनी कानून अधिकारी द्वारा तसदीक की गई है रसीदों पर दिखाया गया पता मनीमाजरा में नही पाया गया अतः रसीदें फर्जी व झुठी बनाई जानी पाई गई है। अतः जिससे स्पष्ट है कि श्री हंसराज ज्याणी पूर्व विधी परामर्शी (सेवानिवृत) वा श्री आई0पी0एस0 साहनी, कानून अधिकारी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पंचकूला द्वारा आपस में मिलीभगत करके व अपने-2 पदो का दुरुपयोग करके उपरोक्त अपीलो को राज्य उपभोक्त विवाद निपटान आयोग, में दायर करने के लिए 200/रुपए प्रति अपील वकील फीस 10 /रु प्रति अपील शपथपत्र, तसदीक फीस, फोटौस्टैट आदि की फर्जी व झुठी रसीदे बनाकर बिजली विभाग सिरसा सर्कल के 3,76,990 रु का गबन किया है। इसलिए श्री हंसराज ज्याणी पूर्व विधी परामर्शी (सेवानिवृत) वा श्री आई0पी0एस0 साहनी, कानून अधिकारी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पंचकूला के विरुद् जेरधारा 409/420/467/468/471/120-बी भा.द.स व 13(1)(सी), 13(1)(डी) तथा 13(2) पी.सी.एक्ट के तहत अभियोग अकिंत किये जाने का सुझाव दिया जाने पर अन्तिम रिपोर्ट श्री हंसराज ज्याणी पूर्व विधी परामर्शी (सेवानिवृत) वा श्री आई0पी0एस0 साहनी, कानून अधिकारी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पंचकूला के विरुध मुकदमा दर्ज किये जाने के सुझाव सहित महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी। जांच रिपोर्ट का परिक्षण करने उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र 7/9 दिनांक 04.10.2017 अनुसार रिपोर्ट श्री हंसराज ज्याणी पूर्व विधी परामर्शी (सेवानिवृत) वा श्री आई0पी0एस0 साहनी, कानून अधिकारी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पंचकूला के विरुध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये है। लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा अरसाल थाना है। स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे और बाद कायमी मुकदमा अफसरान बाला से आगामी तफतीश के आदेश प्राप्त करने उपरान्त मिशल मुकदमा मय रिकार्ड सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावें और तफतीश के दौरान यदि अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी की मिली-भगत पाई जावे तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिया जावे। SD. Rajesh Kumar निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला 23.10.17. अज- SVB PKL At. 6.30 PM अज थाना :- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 09 दिनांक 27.10.2017 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी0 भा0दं0सं0 व 13(1)C, 13(1)D and 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला दर्ज रजिस्टर करके स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब, पंचकूला की सेवा में बादस्त सि0 राकेश कुमार न0 89/HSR के व उच्च अधिकारियों की सेवा में तथा असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस बराये करवाने अनुसंधान अधिकारी नियुक्त उपमहानिरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला की सेवा में भिजवाई जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Rajesh Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 71HAP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kumar

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/10/1955				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	01/10/1957				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)